"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2011—आश्विन 22, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (सीजी: 1991), सचिव, वित्त, विमानन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/1/2.—श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (सीजी: 2009), सहायक कलेक्टर, रायपुर को, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण (Mid-Career Training), Phase-III दिनांक 12-8-2011 को पूर्ण किये जाने पर एवं आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2011 से, सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री हेमंत कुमार पहारे, (सीजी: 2002)	सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर	सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
2.	श्री दिलीप कुमार वासनीकर, (सीजी: 2002)	उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नियंत्रक, नापतौल एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.	संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नियंत्रक, नापतौल एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.

2. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-5-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 9-10/2011/1-8.—राज्य शासन, द्वारा श्री एस. के. बेहार (भा.प्र.से.) सेवानिवृत्त सचिव, को सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05-05-2011 द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, खनिज विभाग के पद पर वेतनमान रुपये 37400-67000 ग्रेड वेतन रुपये 10000/- में वेतन 50620+10000=60620/- पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है. श्री बेहार की सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/04/1-3 दिनांक 28-07-2004 [छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004] में उल्लेखित प्रावधानों तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

संविदा नियुक्ति की शर्तें

1. संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होकर 01 वर्ष के लिए होगी.

2. अपनी सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे :—
   (1) संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा. इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति (30-04-2011) के समय मिलने वाला मूल वेतन रुपये 60620/- प्रतिमाह मिलने वाला मूल वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता का योग मानते हुए इस राशि में से श्री बेहार को प्राप्त पेंशन एवं पेंशन पर राहत की राशि घटाने से जो राशि होगी वह राशि श्री बेहार को मासिक एकमुश्त वेतन के रूप में देय होगा. पेंशन एवं पेंशन पर राहत राशि की पात्रता अलग से होगी.

(3) संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी. विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी.

(4) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी.

(5) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी.

अन्य शर्तें

(6) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(7) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

(8) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

(9) संविदा नियुक्ति अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

(10) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

2. इनकी संविदा नियुक्ति के लिये वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 371/सी.एन. 147/बजट-5/वित्त/चार/2011 दिनांक 30-07-2011 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक 4733/तक./परि./2011.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) एवं उक्त उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के उपबंधों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक-1023/परि./2007, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय परिवहन

प्राधिकरण को उसमें उल्लेखित भाड़ा को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देती है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम-(01) में उल्लेखित प्रकार के संविदा वाहन तथा प्रक्रम वाहन के रूप में संचालित नगर वाहनों के कि.मी. मापित दूरी के लिए प्रभारणीय अधिकतम भाड़ा उक्त अनुसूची के कॉलम-(02) में उनके सामने उल्लेखित दरों के समान होगा :—

स. क्र.	संविदा वाहन का प्रकार	किराए की दर
1.	मोटर-केब/टेक्सी (डीजल चलित)	रु. 08.00 प्रथम कि.मी. या उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
2.	मोटर-केब/टेक्सी (पेट्रोल चलित)	रु. 14.00 न्यूनतम भाड़े के अध्यधीन रहते हुए 1/2 कि.मी. हेतु रु. 05.00.
3.	तीन पहिये वाले टेम्पों (डीजल चलित) जिसकी बैठक क्षमता चालक को छोड़कर 06 सीट हों,	रु. 07.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
4.	स्कूटर-रिक्शा (डीजल चलित)	रु. 08.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 07.00.
5.	स्कूटर-रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 11.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 07.00.
6.	सीटी बस (प्रक्रम/संविदा वाहन) जो नगर-निगम/छावनी क्षेत्रों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों या नगर-पालिका और पार्श्वस्थ मार्गों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर चलाये जाते हों :—	
	(क) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 07 से 13 तक चालक को अपवर्जित करते हुए हों—	प्रथम 03 कि.मी. तक प्रति यात्री/सीट के लिए रु. 04.00 और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 01.00.
	(ख) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 13 से अधिक हों—	03 कि.मी. तक का किराया — रु. 04.00 07 कि.मी. तक का किराया — रु. 06.00 10 कि.मी. तक का किराया — रु. 07.00 13 कि.मी. तक का किराया — रु. 08.00 16 कि.मी. तक का किराया — रु. 10.00 19 कि.मी. तक का किराया — रु. 11.00 22 कि.मी. तक का किराया — रु. 12.00 25 कि.मी. तक का किराया — रु. 13.00 25 कि.मी. से अधिक का किराया — रु. 16.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
एस. मरावी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक 4733/तक./परि./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक 4733/तक./परि./2011, दिनांक 23-8-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

No. 4733/तक./परि./2011.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and having regard to the provision of clauses (a) to (d) of the said sub-section (1) and in supersession of Department Notification No. 1023/Trans./07 date 15th October 2007, the State Government hereby, issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authority in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :—

DIRECTIONS

The maximum fare chargeable to the distance measured in Kilometers for the type of Contract Carriage and Stage Carriage of City Buses specified in column (1) of the schedule below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said schedule.

S. No.	Type of Contract Carriage	Fare
1.	Motor Cab/Taxi (Diesel Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
2.	Motor Cab/Taxi (Petrol Driven)	Rs. 05.00 for ½ kilometer subject to a minimum of Rs. 14.00.
3.	Three wheeler Tempo (Diesel Driven) with seating capacity up to 06 excluding the driver.	Rs. 07.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
4.	Scooter-Rickshaw (Diesel Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 07.00 for every kilometer or part thereof.
5.	Scooter-[illegible]kshaw (Petrol Driven)	Rs. 11.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 07.00 for every kilometer or part thereof.
6.	City Bus (Stage Carriage/Contract Carriage) plying within the Municipal Corporation/Contonment Area or Special Area Development Authority or on such routes serving Municipal and Adjacent area as may be approved by the State Government :—	
	(a) Vehicle with seating capacity seven to thirteen excluding the driver.	Rs. 04.00 for the first three kilometers per passenger/seat, and thereafter Rs. 01.00 for every kilometer part thereof.

(b)	Vehicle with seating capacity exceeding thirteen.	Fare up to 03 kilometers	Rs. 04.00
		Fare up to 07 kilometers	Rs. 06.00
		Fare up to 10 kilometers	Rs. 07.00
		Fare up to 13 kilometers	Rs. 08.00
		Fare up to 16 kilometers	Rs. 10.00
		Fare up to 19 kilometers	Rs. 11.00
		Fare up to 22 kilometers	Rs. 12.00
		Fare up to 25 kilometers	Rs. 13.00
		Fare for more then 25 kilometers	Rs. 16.00

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. MARAVI, Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 4883/तक. 46/परि.वि./2011.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके की इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 384), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

1. नियम 158 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीटों की न्यूनतम संख्या जो उपबंधित की जानी है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) अथवा (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी एवं बैठक क्षमता से संबंधित अन्य नियमों के अनुरूप, चेसिस के प्रकार जिस पर ढाँचा स्थापित किया गया है, का सम्यक् ध्यान रखते हुए संचालक क्षमता में वृद्धि कर सकता है.

तालिका

स. क्र.	व्हील बेस		साधारण वाहन	एक्सप्रेस वाहन
	मि.मी.	इंच	(न्यूनतम बैठक क्षमता)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540-2,921	100-115	16	पंजीयन प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अनुसार सीटों का समनुदेशन (आवंटन) किया जायेगा.
2.	2,946-3,048	116-120	20	
3.	3,073-3,429	121-135	25	
4.	3,454-4,064	136-160	30	
5.	4,089-4,318	161-170	40	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	4,343–4,953	171–195	44	
7.	4,978–5,207	196–205	48	
8.	5,232–5,334	206–210	55	
9.	5,334 से अधिक	210 से अधिक	पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नियम 158 के अनुसार ही सीटों का समनुदेशन (आवंटन) किया जायेगा.	

परन्तु यह कि पंजीयन प्राधिकारी किसी लोक सेवा यान के संबंध में ऊपर दी गई सीटों में परिवर्तन कर सकता है, जहां तल का कुल क्षेत्र एवं ले-आऊट ऊपर दी गई बैठक क्षमता का समनुदेशन अनुज्ञात नहीं करता, परन्तु यह परिवर्तन दो अथवा तीन सीट से अधिक का नहीं होगा."

2. नियम 158 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) नियम 46 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस उप-नियम (3) के लागू होने से पूर्व उपर्युक्त उप-नियम (3) के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जहां तक वे पंजीकृत प्रक्रम वाहन के संबंध में है, उस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख से चार माह की अवधि के बाद ही प्रभावी (लागू) होंगे और सीट, सीटिंग ले-आऊट, स्लीपर बर्थ अथवा अन्य कोई अत्यंत आवश्यक जानकारी का भौतिक सत्यापन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 4883/तक. 46/परि. वि./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4883/तक. 46/परि. वि./2011 दिनांक 27-8-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

Raipur, the 27th August 2011

No. 4883/Tech-46/Trans. Office/2011.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) is published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, (Room No. 384) Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

1. For sub-rule (3) of Rule 158, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) the minimum number of seats to be provided shall be as specified in Column (4) or (5) of the following Table, leaving to the operator to

increase the capacity consistent with other rules relating to the seating capacity, having due regard to the type of chassis on which the body is built :—

TABLE

S. No.	Wheel Base M.M.	Wheel Base Inches	Ordinary Vehicle (Minimum Seating Capacity)	Express Vehicle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540-2,921	100-115	16	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 128 of the Central Motor Vehicles Rule 1989 by the Registering Authority.
2.	2,946-3,048	116-120	20	
3.	3,073-3,429	121-135	25	
4.	3,454-4,064	136-160	30	
5.	4,089-4,318	161-170	40	
6.	4,343-4,953	171-195	44	
7.	4,978-5,207	196-205	48	
8.	5,232-5,334	206-210	55	
9.	Above-5,334	Above-210	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 158 by the Registering Authority.	

Provided that the Registering Authority may vary above seats in respect of any public service vehicles where the floor space and layout do not permit to assigned the above seating capacity but it shall not be varied more than two or three seats."

2. For sub-rule (4) of Rule 158, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Subject to the provision of Rule 46, the restriction imposed by sub-rule (3) above in so for as they relate to the Stage Carriage registered before the coming into force of this sub-rule (3), shall be operative only after a period of four months from the date of commencement of that sub-rule and physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, or any vital information necessary shall be done by the Registering Authority."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. MARAVI, Secretary.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 13-9/गृह-दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सेना (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"4-क. **शारीरिक अर्हता**:— अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हता होनी चाहिए—

(क) **ऊंचाई** - 162 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य संवर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए); 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर,

बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए); 158 से.मी. या उससे अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तथा सभी संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए.)

(ख) **सीना -** बिना फुलाये 81 से.मी. (अनुसूचित जनजाति हेतु 76 से.मी.), फुलाने पर 86 से.मी. (अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 81 से.मी.) 5 से.मी. फुलाना अनिवार्य है. महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट दी जायेगी.

(ग) अभ्यर्थी को दृष्टि संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिये. दृष्टि बिना चश्मा के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिये.

(घ) अभ्यर्थी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए."

2. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम-3 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गृह विभाग, छ.ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी	हवलदार अर्दली	01	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1400
		सिपाही अर्दली	04	—तदैव—	4750-7440	1300
		भृत्य/अनुचर	43	—तदैव—	4750-7440	1300
		रसोइया	24	—तदैव—	5200-20200	1800

3. अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-दो
(नियम-3 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गृह विभाग, छ.ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी	हवलदार अर्दली	01	—	100%	—	
		सिपाही अर्दली	04	100%	—	—	
		भृत्य/अनुचर	43	100%	—	—	
		रसोइया	24	100%	—	—	

4. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-तीन
(नियम-3 देखिये)

सीधी भर्ती के लिए आयु, शैक्षणिक अर्हता तथा तरीका

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति	भर्ती का तरीका	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	गृह विभाग छत्तीसगढ़ नगर सेना, चतुर्थ श्रेणी	सिपाही अर्दली	24 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	मुख्यालय के लिये 1. सीनियर स्टॉफ - अध्यक्ष आफिसर/संभागीय सेनानी.	सिपाही अर्दली/भृत्य अनुचर हेतु लिखित परीक्षा-100 अंक साक्षात्कार-15 अंक	कुल 115 अंकों के आधार पर वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी तथा वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति दी जाएगी. वरीयता सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसको अनुमोदित किये जाने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगी.
2.		भृत्य/ अनुचर	24 वर्ष	35 वर्ष	-तदैव-	2. जूनियर स्टॉफ - सदस्य ऑफिसर अथवा समकक्ष. 3. क्वार्टर मास्टर अथवा समकक्ष-सदस्य		
3.		रसोइया	24 वर्ष	35 वर्ष	-तदैव-	उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य महानिदेशक, नगर सेना द्वारा नामांकित किये जायेंगे. संभागीय सेनानी नगर सेना कार्यालय एवं अधीनस्थ जिले के लिये 1. संभागीय सेनानी - अध्यक्ष अथवा समकक्ष. 2. दो जिला सेनानी - सदस्य अथवा समकक्ष. उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य महानिदेशक, नगर सेना द्वारा नामांकित किये जायेंगे. **टीप—** ट्रेड टेस्ट लिये जाने के लिये ट्रेड (रसोइया) के पूर्ण जानकार कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा चौथे सदस्य के रूप में मनोनित किया जायेगा.	रसोइया हेतु ट्रेड टेस्ट-100 अंक	

1. स्वयंसेवी नगर सैनिक, जिनकी 6 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है एवं जो रोल पर है, को सीधी भर्ती द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगा.

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, आयु सीमा में संशोधन लागू होंगे.

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26-01-2001 को या उसके पश्चात् हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे.

5. अनुसूची-चार के कालम क्रमांक (3) में, "पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है" शीर्षक के अन्तर्गत, शब्द "सिपाही" के स्थान पर, शब्द "सिपाही अर्दली" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 13-9/गृह-दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना दिनांक 8-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 8th September 2011

No. F 13-9/Home-Two/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Home Guards (Class IV) Service Recruitment and Promotion Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After Rule-4, the following rule shall be inserted, namely :—

"4-A. **Physical Qualification**— A candidate must possess the following Physical Qualifications—

(a) **Height** - 162 c.m. or more (for the male candidates of General Category, Scheduled Castes and Other Backward Classes category); 153 c.m. or more (for female and male candidates of Scheduled Tribes Category of Revenue Districts of South Bastar Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Bastar, North Bastar Kanker, Koria, Sarguja and Jashpur); 158 c.m. or more (for the male candidates of Scheduled Tribes category and for female candidates of all categories of remaining Revenue Districts.)

(b) **Chest** - 81 c.m. without expansion (76 c.m. for Scheduled Tribes); 86 c.m. on expansion (81 c.m. for Schedule Tribes candidates) expansion of 5 c.m. is compulsory. Female candidates shall be exempted from this physical qualification.

(c) The candidate should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/9 of one eye and 6/12 of the other eye.

(d) The candidate should not be physically Handicapped."

2. For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See Rule-3)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Posts included in the Service

Sl. No.	Name of the Department and service	Name of the posts included in the service	Number of Posts	Classi-fication	Pay Scale	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Home Department Chhattisgarh Home Grard Class-IV	Havildar orderly	01	Class-IV	4750-7440	1400
		Sepoy orderly	04	-do-	4750-7440	1300
		Peon/Attendant	43	-do-	4750-7440	1300
		Cook	24	do-	5200-20200	1800

3. For Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-II
(See Rule-3)

Procedure of Recruitment

Sl. No.	Name of the Department and Service	Name of the post included in service	Total Number of Posts	Percentage of the number of Duty posts to be filled in			Remarks
				By Direct recruitment	By Promotion	From Other Services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Home Department Chhattisgarh Home Guard Class-IV	Havildar Orderly	01	-	100%	-	
		Sepoy Orderly	04	100%	-	-	
		Peon/Attendant	43	100%	-	-	
		Cook	24	100%	-	-	

4. For Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-III
(See Rule-3)

Age, Educational Qualification and Method for Direct Recruitment

Sl. No.	Name of the Department and Service	Name of the posts	Mini-mum Age Limit	Maxi-mum Age Limit	Prescribed Educational Qualifi-cation	Selection Committee	Method of Recruitment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Home Department Chhattisgarh Home Guard Class-IV	Sepoy Orderly	24 years	35 years	8th Passed	**For Head Quarter** 1. Senior Staff - Chairman Officer/ Divisional Commandant. 2. Junior Staff - Member Officer or Equivalent. 3. Quarter Master or	Written Exami-nation for Sepoy Orderly/ Peon/ Attendant- 100 Marks.	Merit List shall be prepared on the basis of total 115 Marks and
2.		Peon Attendant	24 years	35 years	-do-			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.		Cook	24 years	35 years	8th passed	equivalent- Member. The Chairman and Members of the above said Committee shall be nominated by director General, Home Guard. For Divisional Commandant Home Guard office and sub-ordinate Districts 1. Divisional-Chairman Commandant or rquivalent. 2. Two - Members District Commandants or equivalent. The Chairman and Members of the above said Committee shall be nominated by Director General, Home Guard. **Note :—** For conducting Trade Test, an employee well acquainted with Trade job (Cooking) shall be nominated as fourth Member by the Chairman.	Interview- 15 Marks Trade Test for Cook- 100 Marks.	appointment shall be offered as per Merit rank. The Merit List shall be valid for a period of one year from the date of its approval by Competent Authority.

(1) Volunteer Home Guards, who have rendered 6 years service and who are on Roll, shall be appointed on above said posts by direct recruitment.

(2) Amendment in age limit shall be applicable as per directions issued from time to time by General Administration Department.

(3) No candidate shall be eligible for appointment who has more than two living children out of which one has born on or after 26-01-2001.

5. In column number (3) of Schedule-IV, under heading "Name of the post from which promotion is to be made" for the words "Sepoy" the words "Sepoy orderly" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्रमांक/5524/प्र.भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	गाड़ाभांठा प.ह.नं. 23	7.08	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	मोहतरा से देवरगांव पहुंच मार्ग के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/6872/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कटली प. ह. नं. 17	2.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बेलगांव माइनर क्रमांक-1 के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/6873/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	बेलगांव प. ह. नं. 04	3.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बेलगांव माइनर क्रमांक-1 के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/6874/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	लालबहादुर नगर प. ह. नं. 24	1.023	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बॅराज के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	दोनर	0.71	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर.	महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धमतरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 2/04/अ/82/वर्ष 2010-11/भू-अर्जन .— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	रेंगाडीह प. ह. नं. 48	0.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 3/05/अ/82/वर्ष 2010-11/भू-अर्जन .— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	राजाडेरा प. ह. नं. 48	0.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 4/03/अ/82/वर्ष 2010-11/भू-अर्जन .— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	चारभांठा प. ह. नं. 48	1.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 5/02/अ/82/वर्ष 2010-11/भू-अर्जन .— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	परसाबुड़ा प. ह. नं. 48	2.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 10/08/अ-82/भू-अर्जन/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	चन्द्रसूर	0.20	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर.	दुलना व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 299-क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	आमनदुला प.ह.नं. 03	0.276	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	पोता उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 300-क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 12	0.026	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	डभरा माइनर नं.-1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 77/क/अविअ/भू.अ./2 अ-82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	चिवराकुटा	2.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना डुब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कोलम प. ह. नं. 32	49.588	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	चिर्रामुड़ा प. ह. नं. 31	18.332	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक 1357/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 47 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पौंता प. ह. नं. 28	804	0.24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	पौंता-खरखराडीह मार्ग पर कोल्हान नाला पुल के पौंता की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			805	0.14		
		योग	2	**0.38**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 1358/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 04/अ-82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	परसट्ठी प.ह.नं. 136/15	374	0.15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	शैक्षणिक संस्था के विकास हेतु.
			375	0.33		
			376	0.11		
			377	0.27		
			378	0.12		
			379	0.08		
			380	0.30		
			381/1	0.15		
			381/2	0.30		
			382	0.33		
			383	0.11		
			384	0.78		
			385/1	0.24		
			385/2	0.08		
			385/3	0.18		
			385/4	0.13		
			385/5	0.13		
			385/6	0.11		
			385/7	0.11		
			385/8	0.16		
			385/9	0.16		
			386/1	0.25		
			386/2	0.10		
			386/3	0.16		
			386/4	0.24		
			386/5	0.25		
			386/6	0.08		
			387	0.11		
			388	0.10		
			389	2.43		
			390	0.10		
			391/1	0.99		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			391/2	0.65		
			392/1	0.01		
			392/2	0.70		
			393/1	0.06		
			393/2	0.21		
			394/1	0.08		
			394/2	0.65		
			395/1	0.01		
			395/2	0.04		
			395/3	0.02		
			395/4	0.15		
			395/5	0.24		
			395/6	0.14		
			395/7	0.13		
			395/8	0.10		
			395/9	0.07		
			395/10	0.13		
			395/11	0.14		
			395/12	0.24		
			395/13	0.15		
			395/14	0.10		
			395/15	0.07		
			396	0.70		
			402	0.17		
			403	0.51		
			406	0.13		
			408	0.18		
			410/1	0.03		
			410/3	0.40		
			411	3.42		
			412	3.50		
			413/1	0.48		
			413/2	3.79		
			414	0.51		
			415	0.92		
			418	2.76		
			419	2.05		
			420	2.45		
		योग	**70**	**35.23**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 1359/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 43/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कयाबांधा प.ह.नं. 71/16	3	1.31	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र एवं रोड़) हेतु.
			7	0.05		
			12	0.46		
			14	0.41		
			15	0.28		
			20	0.09		
			21	2.07		
			22	0.46		
			25	0.19		
			27	0.07		
			29	0.09		
			33	0.10		
			35	0.07		
			38	0.05		
			42/2	0.56		
			43	0.33		
			44	0.09		
			49	0.25		
			50	0.40		
			51	0.43		
			52	0.27		
			57	0.37		
			66	0.13		
			67	0.10		
			79	0.31		
			85	0.96		
			87	0.21		
			89	0.52		
			90	0.13		
			92	0.55		
			94	0.08		
			98	0.33		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			99	0.34		
			101	0.55		
			104	0.54		
			112	0.30		
			113	0.11		
			117	0.17		
			124	0.07		
			132	0.39		
			137	0.26		
			155	0.53		
			172	1.47		
			181	3.28		
			185	0.62		
			192	0.45		
			194	0.19		
			199	0.50		
			244/3	0.19		
			262	0.81		
			266	0.34		
			267	0.34		
			276	1.03		
			278	0.22		
			291	0.43		
			294	0.18		
			301	0.50		
			305	0.08		
			314	0.33		
			319	0.58		
			320/1	0.24		
			320/2	0.04		
			320/3	0.02		
			320/4	0.08		
			331	0.27		
			332	0.14		
			335	0.09		
			336	0.14		
			347	0.21		
			348	0.22		
			376	0.97		
			377	0.35		
			386	0.11		
			387	0.51		
			391	0.14		
			398	0.09		
			401	0.17		
			403	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			473	0.25		
			482	0.27		
			494	0.12		
			508	0.04		
			509	0.04		
			515	0.08		
			517	0.17		
			519	0.33		
			521	0.34		
			523	0.06		
			526	0.20		
			530	0.10		
			531	0.46		
			532	0.12		
			533	0.16		
			534	0.10		
			535	0.05		
			556	0.22		
			558	0.06		
			559	0.07		
			560	0.05		
			562	0.02		
			564	0.01		
			566	2.46		
			584/1	0.30		
			596	1.06		
			598/1	0.30		
			600	1.43		
			607	0.22		
			608	0.20		
			609	0.30		
			614	0.11		
			616	0.11		
			617	0.13		
			620	0.16		
			628	0.13		
			637	0.24		
			641	0.09		
			645	0.24		
			651	0.25		
			652	0.30		
			672	1.95		
			688/1	0.05		
			688/2	0.11		
			688/3	0.04		
			688/4	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			689	0.16		
			693	0.15		
			694/1	0.14		
			707	0.09		
			720	0.12		
			742	0.45		
			756/4	0.26		
			756/5	0.21		
			759	0.26		
			775	0.12		
			810	0.22		
			812	0.18		
			820	0.12		
			821	0.17		
			822	0.18		
			830	0.24		
			832	0.16		
			835/1	0.20		
			835/2	0.41		
			884	0.07		
			889	0.63		
			899	0.50		
			945/1	0.09		
			949	0.19		
			951	0.39		
			959	0.09		
			979	0.67		
			1014	0.21		
		योग	**152**	**50.62**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 1360/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 46/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प.ह.नं. 75/10	162/1	1.36	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु योजना क्षेत्र- कम्पोजीट यूज हेतु.
			163/1	0.27		
			164/1	0.97		
			165/1	0.03		
			165/2	0.02		
			168	0.48		
			172	0.33		
			173	0.08		
			176	0.14		
			177	0.06		
			179	0.44		
			180/1	0.68		
			185/1	0.42		
			188	0.19		
			207	0.69		
			209	0.07		
			210	3.44		
			224	0.68		
			225	0.14		
			226	1.03		
			227	0.45		
			246	0.29		
			247/4	0.03		
			251	0.41		
			252/2	0.11		
			253	0.11		
			254	0.13		
			255/1	0.22		
			255/2	0.13		
			256	0.40		
			257	0.14		
			259	0.23		
			262	0.20		
			263	0.31		
			264/1	0.07		
			265	0.17		
			266/1	0.01		
			267	0.29		
			268	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			270	0.11		
			272	0.28		
			278/1	0.04		
			281	0.78		
			282	1.17		
			285	6.00		
			286/1	0.62		
			286/2	0.12		
			286/3	0.26		
			287/1	2.22		
			287/2	1.50		
			287/3	1.94		
			291/2	0.06		
			294/2	0.51		
			295	0.90		
			298	0.36		
			299	0.09		
			300	0.18		
			301	2.62		
			302	1.22		
			323	0.01		
			335	0.02		
			343	0.04		
			344	0.06		
			399	1.22		
			403	0.34		
			424/1	0.18		
			424/2	0.12		
			425/2	0.64		
			426	0.38		
			428	0.08		
			437	0.03		
			442	0.70		
			457	0.26		
			502	1.38		
			512	0.40		
			518/4	0.02		
			561/4	0.06		
			562	2.95		
			563	1.04		
			564	1.58		
			565	0.45		
			566	0.23		
			569	0.32		
			571	0.07		
			573	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			581	0.68		
			601/1	0.08		
		योग	**87**	**49.78**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक 1361/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 10/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेंध	43/2	0.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास हेतु.
			57	0.03		
			82	0.27		
			98	0.30		
			102/2	0.19		
			104	0.33		
			105	0.32		
			128	2.23		
			165	0.17		
			176	0.20		
			179	0.03		
			180	0.04		
			188/1	0.03		
			190/1	0.03		
			194	0.06		
			195/1	0.03		
			197	0.07		
			201	0.05		
			202	0.76		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			212	0.14		
			219	0.07		
			228/1	2.08		
			246	0.13		
			288	0.15		
			273/2	0.25		
			277	0.30		
			335/2	1.08		
			359/1	0.08		
			359/3	0.16		
			362/1	0.65		
			374/1	0.31		
			390	0.66		
			395	0.50		
			396	0.27		
			455	0.14		
			501	0.72		
			505/1	0.34		
			507/1	0.16		
			532	0.29		
			543/1	0.05		
			543/2	0.58		
			551	0.86		
		योग	42	15.23		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2011

क्रमांक 1361/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 41/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चीचा	35/1	1.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (योजना क्षेत्र).
		प. ह. नं. 72/15	36	1.17		
			49	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			54	0.12		
			55	0.03		
			60	0.31		
			61	0.25		
			62	0.07		
			69	0.24		
			70	0.36		
			71	0.51		
			74	0.38		
			77	0.55		
			81	0.48		
			97	0.10		
			98	0.06		
			111/2	0.12		
			113	0.41		
			116	0.37		
			118	0.54		
			120	0.59		
			138	0.27		
			142	0.17		
			154	0.34		
			165	0.12		
			171/1	0.12		
			177	0.19		
			181	0.20		
			184	0.07		
			213	0.18		
			214	0.08		
			215	0.07		
			217	0.03		
			218	0.07		
			222	0.10		
			224	0.05		
			234	0.51		
			235	0.23		
			237	0.17		
			250	0.09		
			260	0.54		
			263	0.35		
			264	0.28		
			268	0.69		
			271	0.04		
			275	0.06		
			284	0.13		
			288	0.04		
			290	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			291	0.05		
			304	0.03		
			305	0.06		
			306	0.01		
			307	0.04		
			311	0.12		
			316	0.17		
			317	0.03		
			321	0.26		
			328	0.47		
			329	0.30		
			335	0.49		
			337/1	0.60		
			341	0.51		
			353/1	0.19		
			353/3	0.15		
			356	0.41		
			390	0.06		
			405	0.25		
			411	0.15		
			415	1.33		
			418	0.22		
			420	0.16		
			426	0.14		
			433	0.07		
			437	1.19		
			444	0.62		
			460	0.16		
			504	0.69		
			506	0.11		
			510	0.08		
			511	0.28		
			512	0.26		
			540	0.16		
			557	0.18		
			561/2	0.13		
			565	0.33		
			567	0.18		
			602	0.20		
			604	0.12		
			606	0.56		
			607	0.06		
			608	0.12		
			609	0.26		
			615	0.53		
			616	0.41		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			619/1	0.26		
			623	0.43		
			625/2	0.07		
			626	0.05		
			630	0.47		
			642	0.16		
			647	0.11		
			650	0.85		
			677	0.12		
			678	0.11		
			689	0.41		
			698	0.24		
			704	0.09		
			712	0.31		
			716	0.12		
			718	0.13		
			722	0.15		
			730	0.10		
			735/1	0.55		
			735/2	0.40		
			746	0.19		
			747	0.06		
			759/2	0.22		
			763	0.55		
			764	0.50		
			774	0.39		
			795	0.56		
			803/1	0.14		
			805	0.32		
			812	0.15		
			815	0.21		
			817	0.06		
			827/2	0.14		
			838	0.30		
			844	0.07		
			846	0.15		
			847	0.71		
			849	1.25		
			850	2.44		
			852/1	0.04		
			861/1	0.05		
			863	0.36		
			865	0.16		
			872	0.59		
			876	0.58		
			886	0.53		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			893/1	0.10		
			894	0.11		
			897	0.09		
			898	0.11		
			901	0.30		
			904	0.15		
			905	1.03		
			906	0.22		
			911	0.53		
			913	0.37		
			916	0.24		
			921	0.03		
			923	0.13		
			924	0.16		
			925	0.13		
			928	0.35		
			930	0.07		
			933	14.77		
			934	0.34		
			936	0.05		
			937	0.04		
			938	0.40		
			942/1	0.09		
			944	0.61		
			947	0.08		
			949	0.32		
			950	0.21		
			951	0.06		
			953	0.14		
			954	0.21		
			964	0.44		
			969	0.82		
			970	0.19		
			971	0.17		
			976	0.19		
			977	0.10		
			979	0.08		
			333/990	0.07		
		योग	179	65.31		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2011

क्रमांक 1363/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 42/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	9	0.30	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (योजना क्षेत्र).
			11	0.42		
			22	0.22		
			33	0.40		
			38	0.20		
			39	0.21		
			40	0.39		
			43	0.40		
			44	0.43		
			45	0.44		
			47	0.37		
			48	0.47		
			49	0.44		
			50	0.46		
			76	0.38		
			77	0.56		
			99	0.40		
			109	1.19		
			110	1.19		
			113	0.59		
			114	0.06		
			120	0.22		
			121	0.68		
			122	0.41		
			123	0.58		
			129	0.87		
			143/2	0.20		
			143/3	0.21		
			148/2	0.06		
			148/3	0.06		
			166	0.96		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			167/2	0.47		
			168	0.71		
			169	0.51		
			173	0.40		
			176	0.22		
			181	0.51		
			183	0.09		
			186	0.20		
			188	0.07		
			191	0.62		
			197	1.42		
			199	0.49		
			205	5.49		
			206	0.72		
			207	0.44		
			208	0.15		
			209	0.23		
			210	0.[illegible]7		
			211	0.23		
			212	0.47		
			214	0.02		
			215	0.97		
			1350	1.69		
			1352	0.29		
			1354	0.20		
			1360	0.27		
			1365	0.35		
			1371	0.22		
			1378/1	0.40		
			1378/2	0.30		
			1379	0.24		
			1380	0.18		
			1382	0.30		
			1383	0.12		
			1384	0.20		
			1395	0.17		
			1412	0.15		
			1413	0.25		
			1414	0.24		
			1415	0.16		
			1416	0.12		
			1417	0.28		
			1419	0.54		
			1420/1	0.22		
			1420/2	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1420/3	0.18		
			1420/4	0.14		
			1421	1.99		
			1422	0.29		
			1425	0.20		
			1426	0.18		
			1430/1	0.08		
			1432	0.08		
			1433	0.03		
			1434	0.05		
			1435	0.54		
			1436	0.05		
			1437	0.11		
			1438/2	0.40		
			1440	0.24		
			1441	0.30		
			1443	0.14		
			1445	0.88		
			1447	0.30		
			1448/1	0.88		
			1448/2	0.40		
			1449	0.07		
			1450	0.09		
			1451	0.04		
			1454	0.29		
			1455	0.12		
			1456	0.22		
			1459	0.36		
			1460/2471	0.28		
			1496	4.65		
			1497	0.35		
			1502	0.22		
			1503	0.18		
			1504	0.27		
			1514	0.48		
			1515	0.32		
			1518	0.27		
			1519	0.81		
			1523	0.47		
			1530	0.17		
			1531	0.18		
			1532	0.14		
			1534/1	0.36		
			1534/2	0.35		
			1537	0.52		
			1538/1	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1538/2	0.40		
			1540	0.03		
			1541	0.02		
			1542	0.02		
			1543	0.08		
			1546	0.24		
			1547	0.42		
			1548	0.24		
			1549/1	0.40		
			1549/2	0.26		
			1552	0.18		
			1553	3.14		
			1555/2	0.67		
			1560/1	0.20		
			1561	0.29		
			1562	0.27		
			1564	0.75		
			1565	0.28		
			1566	0.12		
			1569	0.61		
			1570	0.33		
			1571	0.19		
			1572	0.13		
			1575	0.19		
			1576	0.36		
			1638/1	0.49		
			1638/2	0.50		
			1639	0.40		
			1640/1	0.25		
			1640/2	0.25		
			1723	1.67		
			1724	0.56		
			1726	0.11		
			1728	0.32		
			1729/2	0.06		
			1730	0.06		
			1753	0.48		
			1754	1.82		
			1755	0.47		
			1757	0.71		
			1760	1.37		
			1762	3.29		
			1763	0.31		
			1771	1.37		
			1773	0.93		
			1775	1.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1781/3	0.58		
			1788	0.39		
		योग	170	81.47		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 1324/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 14/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71/16	3/2	0.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के लेयर-1 में एम्यूजमेंट पार्क शिक्षण आमोद प्रामोद तथा आवासीय प्रयोजन हेतु.
			3/3	0.02		
			3/4	0.02		
			3/6	0.02		
			3/7	0.02		
			3/9	0.02		
			8/2	0.02		
			8/3	0.02		
			8/5	0.02		
			8/6	0.02		
			8/7	0.02		
			11	0.18		
			14	0.54		
			18	0.13		
			41	0.36		
			42	0.41		
			43	0.66		
			44	0.67		
			45	0.98		
			63	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			66	0.32		
			67	0.30		
			90	0.67		
			104	0.24		
			128	0.07		
			129	0.02		
			132	0.01		
			174/2	0.04		
			175	0.12		
			176	0.16		
			181	0.11		
			183	0.02		
			184	0.05		
			185	0.06		
			187	0.04		
			248	0.16		
			249	0.26		
			250	1.35		
			394	0.04		
			410/696	0.13		
			508	1.39		
			509	0.17		
			512	0.39		
			650/1	0.10		
			688	2.93		
		योग	**45**	**13.38**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्रमांक 1378/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 51/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बेन्द्री प. ह. नं. 18	346/2	0.117	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			346/7	0.101		
			346/8	0.061		
			346/10	0.049		
			346/11	0.191		
			347/1	0.122		
			347/3	0.097		
			347/4, 348/3	0.089		
			353/2	2.015		
			353/5	0.121		
			353/6	0.260		
			353/15-16	0.522		
			353/21, 353/22	1.094		
			353/23, 353/24	3.743		
			353/25, 353/26	2.144		
			353/30	1.518		
			353/31	1.518		
			353/32	4.218		
			353/33	0.540		
			353/34	0.317		
			353/38	0.202		
			353/39	0.093		
			353/44	0.135		
			353/49	0.270		
			353/50	0.135		
			353/51	0.220		
			354/1	1.618		
			354/2	0.465		
			354/3	0.773		
			354/4	1.744		
			354/5	1.619		
			357/1	1.202		
			357/2	0.999		
			360/1	2.740		
			360/8	0.202		
			373/1	0.125		
			373/2	0.125		
			373/3	0.129		
			374/1, 375/1	0.085		
			374/2, 375/2	0.081		
			376	0.413		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			377/1	0.332		
			378/1	0.043		
			378/3	0.064		
			382	0.071		
			383/1	0.079		
			383/2	0.142		
			383/4	0.595		
			383/5	0.101		
			385	1.286		
		योग	50	34.925		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-कोटा
   (ग) नगर/ग्राम-मटसगरा, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
159/5 क	0.07
159/7	0.32
165/1	0.20
योग	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय पूरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
696	0.13
657/3	0.07
685/1	0.09
685/2	0.08
687	0.05
665/4	0.02
665/6	0.03
688	0.05
657/4	0.09
689	0.08
665/1	0.03
665/5	0.06
665/7	0.05
665/2	0.07
665/8	0.03
665/3	0.10
624/2	0.08
661/1	0.08
661/2	0.02
659/1	0.15
660/1	0.08
660/2	0.03
659/2	0.02
658/1	0.20
658/2	0.03
658/4	0.03
658/5	0.04
649	0.14
655	0.05
651	0.28
650/1	0.08
650/2	0.03
849/1	0.05
654	0.03
645/3	0.03
583	0.20
580/1	0.08
580/2	0.04
930	0.13
929/1	0.11
932	0.02
936/2	0.04
योग	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्वहन सिंचाई योजना माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अग त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र . क 4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-खुडूभाठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2 44 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
247	0.05

(1)	(2)
253/4	0.29
253/3	0.02
254/2	0.15
255/3	0.17
255/7	0.20
255/4	0.19
258/1, 258/2	0.17
259	0.27
90/21	0.21
90/22	0.18
90/23	0.19
164/1	0.35
योग 13	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवगांव व्यपवर्तन योजना बायीं तट मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मझवानी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1/13	0.60
1/1/9	0.50
1/1/12	0.15
1/1/7	1.20
1/1/8	0.60
1/1/11	2.00
1/4 ख	0.34
1/4 ङ	0.20
98/2	0.20
1/3, 9	1.00
17/6 क	0.05
17/1	0.40
17/2	0.40
17/7	3.00
17/8	0.40
22/1	1.00
106	0.15
97/2	0.29
96	0.81
95/1 क	0.05
173/1 क	0.15
95/1 ख	0.20
173/10 ख	0.70
95/1 ग	0.05
173/10 ग	0.15
95/2	0.05
99	0.14
173/9	0.05
95/3	0.05
173/11	0.05
95/4	0.10
173/12	0.30
371/1	0.78
347/1	0.02
379/2	0.50
347/2	0.22
367/1	1.50
345/2	0.30
346	0.78
345/1	1.00
2/1	2.50
144/2, 144/4	0.60
177/3	0.80
2/2	0.20
144/1, 144/3	0.50
178/1	0.24
176/1	0.22

(1)	(2)
341/1	0.90
176/2	0.80
178/2	0.15
348, 349	0.20
1/1/10	0.40
328/1	1.00
328/2	1.05
324	0.20
327	0.05
366/1	0.05
	30.29

...निक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा ...योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

... नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ...कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2011

...र्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य ...सन का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ...वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित ...प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन ...1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत ...घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन ...कता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-डांडजगड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
12, 22	0.31
65/1	0.20
30/2	0.20
1, 14	3.67
[illegible]	0.48
[illegible]	[illegible]
33	1.74
172	0.18
24	0.09
211	0.14
190/2	0.14
183/1	0.32
186/4	0.10
168, 169	0.23
170	0.11
104/1	0.22
164/1	0.12
164/2	0.12
163	0.05
16/3	0.35
20	0.12
16/1	0.48
32	0.03
140	0.01
141	0.40
208	0.03
213	0.05
191	0.18
103	0.01
4/4	0.20
16/5	0.06
102	0.66
184/1, 185	0.83
201, 210	1.14
212/1	0.03
190/1	0.13
139	0.95
171	0.11
4/5	0.98
11/2	3.90
179	0.14
180	0.78
192	0.56
योग 39	20.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जेवस व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक/6622/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरनालाकला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.05 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	135/1	0.55
	49	1.00
	50/1	0.50
योग	3	2.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राऊरकसा एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक/6623/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-परेवाडीह, प. ह. नं. 72/[illegible]
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
267	0.340
269	0.231
266	0.445
270	0.243
264	0.364
271	0.016
263	0.267
262	0.041
256	0.239
255	0.089
258	0.291
204	0.231
257	0.312
36	0.591
259	0.089
260	0.259
261	0.316
253	1.113
89	1.021
83	0.028
82	0.255
81	0.166
74	0.405
72	0.433
75	0.389
71	0.166
61	0.134
62	0.097
60	0.049
59	0.073
58	0.198
65	0.073
63	1.239
57	0.223
56	0.300
39	1.729

	(1)	(2)
	34	0.267
	32	0.624
	33	0.446
	7	0.040
	8	0.339
	10	0.012
	4	0.527
	3	0.579
योग	44	15.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक/6624/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लालूटोला, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.433 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	102/2	0.089
	103/2	0.713
	103/1	0.235
	104	0.211
	106/1	0.040
	99/1	0.194
	98	0.073
	105	0.502
	106/2	0.202
	106/4	0.194
	107/2	0.348
	111/1	0.158
	113/1	0.292
	122	0.356
	113/3	0.121
	115/7	0.040
	123/1	0.162
	123/3	0.154
	120/3	0.073
	123/4	0.267
	124/2	0.130
	124/4	0.215
	170/1	0.543
	124/8	0.057
	124/10	0.219
	129	0.016
	163/1	0.594
	164/2	0.154
	164/4	0.239
	164/7	0.283
	120/2	0.097
	120/1	0.462
योग	32	7.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक/6625/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोखली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	86/2	0.117
	75/1, 2	0.142
योग	2	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोखली बांकल पनेका मार्ग के शिवनाथ नदी सेतु निर्माण पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्रमांक/6626/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.207 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	288/17	0.101
	412/2	0.106
योग	2	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैरॉज की रेंगाकठेरा लघु नहर क्र.-1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2011

इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9756/भू-अर्जन/10 राजनांदगांव दिनांक 11-10-2010 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

क्रमांक/6627/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पांडुका, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	33/4	0.012
योग	1	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैरॉज की पांडुका लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोरपाल, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	145/2	1.03
योग		1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तुसेल तालाब योजना के अंतर्गत बांध एवं डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक 298.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	795/2	0.028
	803/4	0.085
योग	2	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरागढ़ सब माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 78/क/अविअ/भू.अ./01 अ-82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गिधामुड़ा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1	0.20
95/2	0.18
95/3	0.03
95/4	0.02
95/5	0.01
95/6	0.01
95/7	0.30
140/452/1	0.27
95/8	0.30
140/452/2	0.12
232/1	0.10
140/452/3	0.13
140/452/4	0.04
140/452/6	0.04
232/2	0.10
140/452/5	0.21
232/3	0.04
140/452/7	0.07
232/4	0.11
232/5	0.04
232/6	0.07
244/1	0.06
244/2	0.06
244/3	0.04
247	0.10
232/7	0.05
232/8	0.08
योग 27	2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्रमांक/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-तुमगांव, प. ह. नं. 136/86
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2365	0.057
योग 1	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोडार व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/6/भू-अर्जन/01 अ/82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-घुरावड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
703	0.03
701	0.04
700	0.04
699	0.03
696	0.01
693	0.01
697	0.01
694	0.02
686	0.04
684	0.08
685	0.05
687	0.02
688	0.02
689	0.03
593	0.32
योग	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जैतपुरी व्यपवर्तन के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी कोड नं. 90 के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/7/भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-जैतपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3 27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.03

(1)	(2)
181/2	0.01
186	0.06
31	0.02
32	0.04
33	0.02
180	0.01
87	0.06
182	0.01
190/1	0.05
302/1	0.02
183	0.01
301	0.01
302/2	0.24
300/1	0.14
300/3	0.12
191/1	0.01
91/1	0.01
255	0.06
302/3	0.52
303	0.08
342	0.01
341	0.07
304	0.02
305	0.02
306	0.10
308	0.08
309/2	0.03
122/2	0.01
326	0.04
325	0.01
133/2	0.05
307	0.05
150	0.03
121	0.04
149	0.02
151/2	0.01
137/1	0.01
90/3	0.09
151/3	0.03
152/3	0.03
137/2	0.04
90/1	0.03
139	0.04
122/1	0.01
134	0.09
124	0.12
123	0.04
118	0.04
92	0.24
90/2	0.10
85	0.01
81	0.01
योग	3.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जैतपुरी व्यपवर्तन के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी कोड नं. 90 कें कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीबांधा, प. ह. नं. 113
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
615/3	0.082

(1)	(2)
612/2, 614/1, 615/5	0.050
योग 4	0.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतराई, प. ह. नं. 115
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
110/8	0.065
139/4, 142/23	0.032
142/4	0.030
142/32-33	0.026
142/31	0.025
142/3	0.091
142/25, 142/26, 142/29	0.090
142/18, 5, 6, 7, 19	
योग 8	0.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुरा, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.143 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
351/9	0.064
351/12	0.079
योग 2	0.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./23/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बनरसी, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.386 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	339/1	0.020
	393/1, 393/3	0.028
	391/2	0.084
	390	0.008
	388/1, 2, 3, 8, 9, 10, 11	0.066
	419/2	0.010
	347/1	0.060
	344, 345/1	0.064
	347/2	0.046
योग	9	0.386

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक 1347/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 04/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1464	0.38
	1475	0.73
	1477	1.06
	1483	0.28
	1490	0.08
	1493	1.77
योग	6	4.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत बी.एस.एफ. हेडक्वार्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-फुंडहर, प. ह. नं. 114/115
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.993 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
10/8-9-10-11	0.078
11	0.018
136/120, 138/120	0.028
136/53, 138/53	0.027
136/52, 138/52	0.046
136/95, 138/95, 136/146, 138/146	0.090
136/19-20-43, 138/19-20-43	0.102
140/23-24, 141/23-24, 142/23-24	0.052
140/3, 141-3, 142/3	0.072
140/38, 141/38, 142/38	0.010
140/36, 141/36, 142/36	0.043
195/25, 195/26	0.037
195/5	0.036
90/2	0.064
212/3-4	0.049
202/4	0.018
214/2	0.077
218/3	0.013
218/1	0.010
218/5	0.035
198/10	0.072
144/1	0.016
योग 22	0.993

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-टेमरी, प. ह. नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
33/2-3	0.056
36/1	0.084
73/1	0.072
376/1	0.160
311/6	0.036
311/27	0.036
72/5	0.054
311/21	0.040
311/4	0.042
311/28	0.030
289/1	0.026
288/5	0.070
288/12	0.080
39/3	0.050
39/5	0.028
361/3-6	0.024
356/1	0.020
376/1	0.160
39/7	0.010

	(1)	(2)
	330/1, 331/1	0.056
	311/9, 311/29	0.060
	311/3	0.016
	75/3	0.055
	76/3	0.088
योग	24	1.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाईतल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील खरसिया, जिला रायगढ़

खरसिया, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 433.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पावर प्लांट हेतु 1200 एम.एम. पानी के पाईपलाईन परियोजना ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.), लिमिटेड ग्राम-बिंजकोट द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील खरसिया, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	खरसिया	दर्रामुड़ा/प.ह.नं. 14	198/628	0.08
			199	0.04
			200/5 क	0.05
			200/6	0.05
		योग	**4**	**0.22**

ओ. पी. वर्मा,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd September 2011

No. 515/Confdl./2011/II-2-4/2002.—The following Officiating District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), are hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Jerom Kujur	01-02-2008
2.	Shri Nico Dious Ekka	01-03-2008
3.	Shri Ganpat Rao	01-11-2008
4.	Shri Ashok Kumar Potdar	12-11-2008
5.	Smt. Rajni Dubey	31-03-2009
6.	Shri Neelam Chand Sankhla	31-03-2009
7.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi	01-04-2009
8.	Shri Ravi Shankar Sharma	30-05-2009
9.	Shri Vinay Kumar Kashyap	01-06-2009
10.	Shri Deepak Kumar Tiwari	01-06-2009
11.	Shri Radhakishan Agrawal	01-08-2009
12.	Shri Govind Kumar Mishra	01-10-2009
13.	Shri Nirmal Minj	09-12-2009
14.	Shri Sevak Ram Banjare	01-01-2010
15.	Shri Agralal Joshi	01-02-2010
16.	Shri Nand Kumar Singh Thakur	01-02-2010
17.	Shri Sypriel Xess	05-02-2010
18.	Shri Makardhwaj Jagdalla	04-03-2010
19.	Shri Bhuneshwar Ram	01-07-2010
20.	Shri Veer Singh Salam	30-03-2011
21.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal	04-04-2011
22.	Shri Kanwar Lal Charyani	06-04-2011

Bilaspur, the 2nd September 2011

No. 516/Confdl./2011/II-2-4/2002.—The following Officiating District Judges of Higher Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions) Rules, 2006 :—

1. Shri Ashok Kumar Sahu
2. Shri Jaideep Vijay Nimonkar
3. Shri Noordeen Tigala
4. Shri Narendra Singh Chawla
5. Smt. Minakshi Gondaley
6. Shri Ram Kumar Tiwari

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 3rd September 2011

No. 394/L.G./2011/II-2-22/2001.—Smt: Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-09-2011 to 29-09-2011 and permission to prefix holiday of 25th September, 2011 (Sunday) along with permission to leave out of headquarters from the evening of 24-09-2011 till the morning of 30-09-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 25 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2011

No. 395/L.G./2011/II-2-3/2005.—Shri C. L. Patel, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 10 days from 10-10-2011 to 19-10-2011 and permission to prefix holidays from 05th to 09th October, 2011 (Dashera Holidays, 2nd Saturday & Sunday respectively) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 263 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th September 2011

No. 397/L.G./2011/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradiya, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 13 days from 10-10-2011 to 22-10-2011 and permission to prefix holidays from 05th to 09th October, 2011 (Dashera Holidays) & to suffix holidays from 23rd to 27th October, 2011 (Deepawali Holidays) along with permission to remain out of headquarters from 05-10-2011 to 27-10-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradiya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 257 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd September 2011

No. 399/L.G./2011/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-10-2011 to 14-10-2011 and permission to prefix holidays from 04th to 09th October, 2011 & suffix holidays of 15th & 16th October, 2011 along with permission to remain out of headquarters from 04-10-2011 to 16-10-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 250 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.